



संख्या- 37 /2026/1/ 1264182 /2026/71-1002/23/2022

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में पैरा मेडिकल कालेज झांसी हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/486, दिनांक 16.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पैरा मेडिकल कालेज झांसी हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल ₹0 15.17 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजस्व पक्ष लेखाशीर्षक 2210-05-789-03-03-पैरा मेडिकल कालेज, झांसी के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि कुल ₹0 6.10 लाख (₹0 छः लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि०शि० का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
4. प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. पुनर्विनियोग के माध्यम से की गयी अतिरिक्त मांग की धनराशि के आंकलन/शुद्धता/सत्यता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला (1) रुपये 10,000 (रुपये दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2210057890303 पैरा मेडिकल कालेज , झांसी मानक मद 13 टेलीफोन पर व्यय (2) रुपये 6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2210057890303 पैरा मेडिकल कालेज , झांसी मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, पैरा मेडिकल कालेज, झांसी।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 30प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पैरा मेडिकल कालेज, झांसी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20252026-71-1002-23-2022

विषय:- पैरा मेडिकल कालेज झांसी हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्ति
083	2210057890305 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर)	03	16,85,00,000 (मंहगाई रुपये सोलह करोड़ पचासी लाख मात्र)	2,79,57,000 रुपये दो करोड़ उन्नीस लाख सत्तावन हजार मात्र	15,17,000 रुपये पन्द्रह लाख सत्रह हजार मात्र	6,10,000 रुपये छह लाख दस हजार मात्र	16,78,90,000 रुपये सोलह करोड़ अठहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र	2025
कुल					₹ 15,17,000	₹ 6,10,000		

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2210057890303 (पैरा मेडिकल कालेज, झांसी)	29	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	26,00,000 रुपये छब्बीस लाख मात्र	2025-2026
083	2210057890303 (पैरा मेडिकल कालेज, झांसी)	13	55,000 रुपये पचपन हजार मात्र	17,000 रुपये सत्रह हजार मात्र	10,000 रुपये दस हजार मात्र	65,000 रुपये पैंसठ हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 15,17,000	₹ 6,10,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर हेतु मानक मद-03-महंगाई भत्ता में उक्तानुसार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल ₹0 15.17 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

निदेशक, पैरामेडिकल कालेज, झाँसी ने अपने पत्र दिनांक-26.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय में ₹0 0.17 लाख तथा मानक मद-29-अनुरक्षण में ₹0 15.00 लाख, इस प्रकार कुल ₹0 15.17 लाख की अतिरिक्त धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: RE-budget-1-405-E-3-328-X-2025-26-दिनांक: 28-02-2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।


(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।


(कपिल देव भारती)

उप सचिव।

संख्या : / , दिनांक- मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, पैरा मेडिकल कालेज, झाँसी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से



(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।